संख्या- 09/2023/ए-1-151/दस-2023

प्रेषक,

शहिद मंजर अब्बास रिज़वी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ - दिनांक – 06 नवम्बर, 2023

विषय - ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से 31 मार्च, 2024 के लिये सरकारी लेन-देन की स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर ने अपने पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2023, (छायाप्रति संलग्न) द्वारा 31 मार्च, 2024 (रविवार) को एक कार्य दिवस के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया है ताकि ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से सभी सरकारी लेन-देन 31 मार्च, 2024 को सम्पादित किये जा सके और सरकार के नकद शेष की गणना के लिये उनका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही किया जा सके। सरकारी लेन-देन से सम्बन्धित एजेन्सी बैंकों की लगेज फाइलें भी 31 मार्च, 2024 को ई-कुबेर प्रणाली द्वारा स्वीकार की जायेंगी ताकि इसका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये सरकारी खाते में किया जा सके।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष तथा समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी कृपया भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने नियंत्रणाधीन समस्त अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
शहिद मंजर अब्बास रिज़वी
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 9/2023/ए-1-151 (1)/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से कि समस्त कोषागारों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु अपने स्तर से निर्देर्शित करने का कष्ट करें।
5- उप महाप्रबन्धक, एकीकृत बैंकिग विभाग,भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गॉधी मार्ग, कानपुर 208001
6- सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ-226001
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
पूर्ण देव उपाध्याय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

कान/ए.बै.वि/ए.से.प्र./ /10.01.014/2023-24 30 अक्तूबर 2023

प्रति,
निदेशक,
निदेशालय कोषागार
जवाहर भवन
लखनऊ, उ .प्र.226001

ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से 31 मार्च 2024 के लिए सरकारी लेनदेन की स्थिति

महोदया / महोदय,

जैसा कि सरकार को विदित है, ekuber (ई-कुबेर) वैश्विक छुट्टियों (जो कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, महीने के सभी दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार हैं) पर किसी भी सरकारी लेनदेन की प्रक्रिया नहीं करता है । संयोग वश 31 मार्च 2024 को रविवार है ।

2. भारत सरकार से प्राप्त अनुरोध के अनुसार, आरबीआई की ई-कुबेर प्रणाली में 31 मार्च 2024 (रविवार) को एक कार्य दिवस के रूप में चिह्नित करने का निर्णय लिया गया है ताकि ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से सभी सरकारी लेनदेन 31 मार्च 2024 को संसाधित किए जाएँ और 31 मार्च 2024 तक सरकार के नकद शेष की गणना के लिए उनका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही किया जाए ।

3. हम यह भी सूचित करते हैं कि सरकारी लेनदेन से संबंधित एजेंसी बैंकों की लगेज़ फाइलें भी 31 मार्च 2024 को ई-कुबेर प्रणाली द्वारा स्वीकार की जाएंगी ताकि इसका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकारी खाते में किया जा सके ।

एकीकृत बैंकिंग विभाग,महात्मा गाँधी मार्ग, कानपुर -208001, भारत
फोन: : (0512) 2303962 फैक्स :(0512) 2304056 ई मेल-ibdkanpur@rbi.org.in

Integrated Banking Department, Mahatma Gandhi Marg, Kanpur – 208001, India
Tel: (0512) 2303962 Fax: (0512) 2304056 e-mail: ibdkanpur@rbi.org.in

4. इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2024 के लिए ई-कुबेर समेकन ढांचे के तहत ई-भुगतान और ई-रसीदों से संबंधित विस्तृत कार्यविधि के बारे में यथासमय सूचित किया जाएगा ।

भवदीय

उप महाप्रबन्धक

2584622/2023/ ( )-1

पंजीकृत डाक

कान./एबैवि/एसेप्र/ S729 /10.01.014/2023-24 तददिनांकित

उक्त पत्र की एक प्रति के निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ - 226001 ।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, ऊ.प्र. 148, जवाहर भवन लखनऊ- 226001 ।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी (टीएम I), प्रधान महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी प्रथम), प्रयागराज - 211001 ।

भवदीया

प्रबन्धक